उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-2
संख्या-06/2024/78(1)/दो-2-2024-28/2(4)/2024
लखनऊ: दिनांक: 01 फरवरी,2024

संयुक्त सचिव,
इरला चेक (वेतन पची प्रकोष्ठ),
उ0प्र0 शासन।

श्री सुरेश कुमार सोनी,पी.सी.एस, अपर जिलाधिकारी(वि.रा.)गोण्डा, जो अपनी अधिवर्षिता आयु के उपरान्त दिनांक **31.01.2024** को सेवानिवृत्त हो चुके हैं, से प्राप्त जी0आई0एस0 प्रपत्रों की तीन प्रतियॉ मूलरूप में संलग्न कर भेजते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अग्रेतर कार्यवाही कराते हुए कृत कार्यवाही से नियुक्ति अनुभाग-2 को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक:-यथोक्त।

(मदन सिंह गर्ब्याल)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि:- श्री सुरेश कुमार सोनी,से0नि0 **पता**-म0नं0-16(जी0डी0मेमोरियल स्कूल के पास),कृष्णा नगर रोड, हन्सखेड़ा, मजरा-पारा, आलम नगर, मानक नगर,लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। **(रजिस्टर्ड)**

आज्ञा से,

(अभिजित श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-2
संख्या-06/2024/78(।।)/दो-2-2024-28/2(4)/2024
लखनऊ: दिनांक: 01 फरवरी,2024

कार्यालय-ज्ञाप

श्री सुरेश कुमार सोनी,पी.सी.एस, अपर जिलाधिकारी(वि.रा.)गोण्डा, जो अपनी अधिवर्षिता आयु के उपरान्त दिनांक **31.01.2024** को सेवानिवृत्त हो चुके हैं, को वित्त सामान्य अनुभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-सा-4-393/दस-99-2000-88, दिनांक 01-07-99 में निहित प्रतिबन्धों के अधीन सेवानिवृत्ति की तिथि तक देय अवकाश के नकदीकरण की स्वीकृति, जो 300 दिन से अधिक न हो, प्रदान की जाती है।

(मदन सिंह गर्ब्याल)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- विशेष सचिव,इरला चेक(वेतन पर्ची अनुभाग),उत्तर प्रदेश शासन।

2- श्री सुरेश कुमार सोनी,से0नि0 **पता**-म0नं0-16(जी0डी0मेमोरियल स्कूल के पास),कृष्णा नगर रोड, हन्सखेड़ा, मजरा-पारा, आलम नगर, मानक नगर,लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। **(रजिस्टर्ड)**

आज्ञा से,

(अभिजित श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-2
संख्या-06/2024/64/दो-2-2024/28/(4)/2024
लखनउ: दिनांक: 01 फरवरी,2024

आदेश

श्री सुरेश कुमार सोनी,पी0सी0एस0,से0नि0 द्वारा अपने भविष्य निधि निर्वाह खाता संख्या-**जी.ए.यू.-85550** में कुल जमा धनराशि के सापेक्ष 90 प्रतिशत धनराशि का भुगतान किए जाने का अनुरोध किया गया है।

2- श्री सुरेश कुमार सोनी,पी0सी0एस0,से0नि0 के जी0पी0एफ0 खाते में महालेखाकार कार्यालय के पत्रांक-निधि-18/मिलान डायरी-एम0डी0/277/51030/18/67949,दिनांक 24.11.2023 के अनुसार वर्ष-2022-23 तक कुल जमा धनराशि रू0-7,94,646/-(रू0 सात लाख चौरानवे हजार छः सौ छियालीस मात्र) जिस पर माह 3/2023 तक ब्याज सम्मिलित है, का सत्यापन किया गया है तथा यह भी अपेक्षा की गयी है कि अभिदाता को उ0प्र0,सा0भ0नि0 नियमावली 1985 के नियम-24(5)(क) में उल्लिखित व्यवस्थानुसार आगे के वर्षों में की गयी कटौतियों/आहरणों सम्मिलित करते हुए जी0पी0एफ0 खाते से 90 प्रतिशत धनराशि का भुगतान किया जाय।

3- अतः कार्यालय महालेखाकार,उ0प्र0 प्रयागराज द्वारा श्री सुरेश कुमार सोनी, पी0सी0एस0, से0नि0 के जी0पी0एफ0 खाते से 90 प्रतिशत धनराशि के भुगतान के संबंध में निर्गत किये गये प्राधिकार पत्र में कुल उल्लिखित धनराशि रू0-7,94,646/-(रू0 सात लाख चौरानवे हजार छः सौ छियालीस मात्र) में श्री सुरेश कुमार सोनी द्वारा वित्तीय वर्ष-2023-24 में अभिदान की गयी धनराशि रू0 1,00,000/- (रू0 एक लाख मात्र) को सम्मिलित करते हुए, श्री सुरेश कुमार सोनी के जी0पी0एफ0 खाते में कुल उल्लिखित धनराशि रू0 8,94,646/- (रू0 आठ लाख चौरानवे हजार छः सौ छियालीस मात्र) की 90 प्रतिशत धनराशि रू0 8,05,181/- (रू0 आठ लाख पॉच हजार एक सौ इक्यासी मात्र) होती है, के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3- उक्त आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-सा-4-ए0जी057/दस-84-510/84, दिनांक 26-12-84 के साथ पठित शासनादेश संख्या-सा-4-ए0जी058/दस-84-510/84 दिनांक 12-01-90 के अधीन स्वीकृत किए जा रहे है।

4- प्रमाणित किया जाता है कि भुगतान की जा रही जी0पी0एफ0 की धनराशि श्री सुरेश कुमार सोनी,से0नि0,पी0सी0एस0 के जी0पी0एफ0 खाते में जमा धनराशि के 90 प्रतिशत से अधिक नहीं है।

(मदन सिंह गर्ब्याल)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी)-प्रथम-निधि-18, उत्तर प्रदेश,प्रयागराज।

2- **जिलाधिकारी, गोण्डा** को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपाया श्री सुरेश कुमार सोनी,से0नि0,पी0सी0एस0,तत्कालीन अपर जिलाधिकारी,(वि.रा.), गोण्डा सम्प्रति सेवानिवृत्त के भविष्य निधि खाते में जमा धनराशि की 90 प्रतिशत धनराशि का भुगतान कराने का

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

कष्ट करें तथा यह भी सुनिश्चि कर लिया जाय कि भुगतान की जाने वाली धनराशि 90प्रतिशत से अधिक न हो। **(रजिस्टर्ड)**

3- **मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, कोषागार,गोण्डा।(रजिस्टर्ड)**

4- श्री सुरेश कुमार सोनी,से0नि0 **पता**-म0नं0-16(जी0डी0मेमोरियल स्कूल के पास),कृष्णा नगर रोड, हन्सखेड़ा, मजरा-पारा, आलम नगर, मानक नगर,लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। (रजिस्टर्ड)

आज्ञा से,

(अभिजित श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।